रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 1984/वैशाख 6, 1906
No. 190] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 1984/VAISAKHA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1984

का. आ. 318(अ).—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत् द्वारा रेल यात्री (टिकटों का रद्दकरण तथा किरायों की वापसी) नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. (1) ये नियम रेल यात्री (टिकटों की रद्दकरण तथा किरायों की वापसी) संशोधन नियम, 1984 कहलायेंगे ।

(2) ये 1 मई 1984 से प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल यात्री (टिकटों के रद्दकरण तथा किरायों की वापसी) नियम 1976 के नियम 5 के उप नियम (2) में '50 पैसा प्रति टिकट' शब्दों के लिए 'एक रुपया प्रति टिकट' प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं. टी जी 2/2910/84]

अजय जौहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड तथा
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1984

S.O. 318(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following amendments to the Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fares) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fares) Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the 1st May, 1984.

2. In the Railway Passengers (Cancellation of Tickets and Refund of Fares) Rules, 1976, in sub-rule (2) of rule 5, for the words "50 paise per ticket", the words "One Rupee per ticket" shall be substituted.

[TC. II|2910|84]

A. JOHRI, Secy. Railway Board and
Ex. Officio Jt. Secy.
to the Government of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984